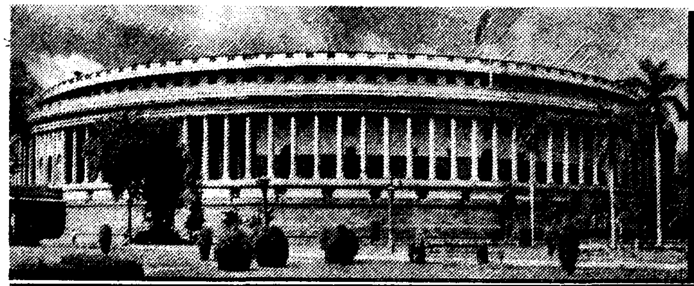

लोक सभा सचिवालय

संसद भवन, नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

Parliament House, New Delhi

प्रैस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

कैम्प: भोपाल

5 फरवरी 2010

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 74 वां सम्मेलन

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 74वां सम्मेलन 3-4 फरवरी 2010 को मध्य प्रदेश विधान सभा के सभा कक्ष में आयोजित किया गया । माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने 3 फरवरी 2010 को सम्मेलन का उद्घाटन किया ।

संसद सहित भारत के विधायी निकायों के 37 पीठासीन अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया । विधायी निकायों के कुल 31 सचिवों ने भारत के विधायी निकायों के सचिवों के सम्मेलन के अतिरिक्त, इस सम्मेलन में भी भाग लिया ।

भोपाल ने भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की तीसरी बार मेजबानी की है । इससे पहले भोपाल में 1971 और 1989 में क्रमशः 37वें और 55वें सम्मेलनों का आयोजन हुआ था ।

3 और 4 फरवरी, 2010 को सम्मेलन के कार्य सत्र में तीन मदों पर विचार-विमर्श किया गया, अर्थात् *(एक) विधायिका द्वारा अपनी प्रासंगिकता का संवर्धन करने हेतु स्व-आकलन; (दो) छोटे राज्यों का सृजन : एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य; और (तीन) विधानमंडल के प्रशासन में अध्यक्ष की भूमिका ।*

सम्मेलन की दो दिवसीय गहन चर्चा "विधायिका द्वारा अपनी प्रासंगिकता का संवर्धन करने हेतु स्व-आकलन" विषय, जो कि हमारे देश में विधायी निकायों की विश्वसनीयता से जुड़ा है, के साथ प्रारंभ हुई । इस चर्चा में 14 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया ।

लगभग सभी प्रतिभागियों का यह मत था कि महत्वपूर्ण विधान और बजट के बिना चर्चा पारित होने के जो दो मुख्य कारण हैं उनमें एक है, विधानमंडलों के सत्रों की अवधि कम होते जाना तथा दूसरा, सदस्यों द्वारा सभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करके सभा का समय बर्बाद करना । प्रतिभागियों ने यह भी विचार व्यक्त किया कि मीडिया को भी सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट निष्पक्ष ढंग से देनी चाहिए तथा महज सनसनीखेज खबर बनाने के लिए विधायकों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत नही करनी चाहिए ।

इस संबंध में, लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार का उत्तरदायित्व तथा स्व-आकलन के परिप्रेक्ष्य में विचार था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए संस्थागत व्यवस्था करनी चाहिए जिसके अंतर्गत सत्र के अंत में वह यह बताएं कि सत्र के दौरान अपने मतदाताओं के लिए उन्होंने क्या किया ? यदि हम ऐसा कर पायें, तो संसद सदस्य और विधायक उचित आचरण करेंगे तथा विधायी मंच का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा ।

इस उपयोगी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, सम्मेलन में "छोटे *राज्यों का सृजन : एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य"* विषय पर चर्चा हुई । इस चर्चा में 16 अन्य पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया ।

प्रतिभागीगण इस पर एकमत थे कि देश की एकता और अखंडता से बढ़कर पवित्र और कोई बात नहीं हो सकती । प्रतिभागियों की आम राय यही थी कि और

अधिक राज्यों के गठन की मांग हमारे देश के संघीय ढांचे को कमजोर ही करेगी । वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मोटे तौर पर यही राय बनी कि इस मामले पर सभी राजनैतिक दलों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा करने की जरूरत है ।

अंतिम विषय पर चर्चा में 12 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया । इस विषय का निहितार्थ पीठासीन अधिकारी के बतौर हमारी भूमिका से जुड़ा हुआ है । प्रतिभागियों के बीच इस बात पर सर्वसम्मति थी कि विधानमंडल तथा उसके सचिवालय के प्रशासन में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में उसे संविधान के उपबंधों तथा प्रक्रिया-नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए सरकार और विपक्ष के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभानी होती है । सचिवालय के प्रशासनिक मुखिया के नाते उसे इसकी स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होती है । अध्यक्ष की जहां एक ओर यह सुनिश्चित करने की महती जिम्मेदारी है कि जनता की आकांक्षाएं उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरी हों, वहीं दूसरी ओर उसे संसदीय संस्थाओं की स्वस्थ परंपराओं और प्रथाओं सहित संसदीय व्यवहार एवं प्रक्रियाओं को पोषित व संरक्षित भी करना होता है ।

आज, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने *"पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता"* विषय पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया । विश्वभर में तथा भारत में पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति बढ़ते खतरे के मद्देनजर यह मुद्दा अब सामयिक हो गया है और इस पर अविलंब ध्यान देने की आवश्यकता है । इस चर्चा में बड़ी संख्या में पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया । प्रतिभागियों का विचार था कि पर्यावरण संरक्षण की तात्कालिकता और शेष वन्यजीव संसाधनों की रक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों द्वारा संगठित कार्यवाही की आवश्यकता है ।

उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि विधानमंडलों को ऐसे समुचित सक्षमकारी कानून बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए जिनसे इस दिशा में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो ।

सम्मेलन के दौरान 03 फरवरी 2010 को लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा सचिवालय द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के सहयोग से आयोजित "भारत *में लोकतंत्र : अतीत से वर्तमान तक*" नामक प्रदर्शनी का और मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा आयोजित *"राज्य का विकास"* नामक एक अन्य प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया ।

"भारत में लोकतंत्र : अतीत से वर्तमान तक" नामक प्रदर्शनी में प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को दर्शाते हुए भारत की संसद के कार्यकरण, संघीय ढांचे और देश के विभिन्न भागों में विद्यमान विधायी संरचना को प्रदर्शित किया गया । इसमें भारतीय राज्य-व्यवस्था में स्पीकर (अध्यक्ष) के पद के उदभव और क्रमविकास को तथा भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों तथा सचिवों के सम्मेलन की सार्थकता को भी रेखांकित किया गया । इस प्रदर्शनी में बहुत से छायाचित्रों, आलेखों, चार्टों व प्रेस-कतरनों, इत्यादि को प्रदर्शित किया गया ।

सामान्य तौर पर हमारी संसदीय संस्थाओं में परम्पराएं और परिपाटियां और विशेष तौर पर संसदीय पद्धतियां और प्रक्रियाएं विकसित और संरक्षित करने में पीठासीन अधिकारियों की मदद करने के उद्देश्य से वर्ष 1921 में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के मंच का शुभारम्भ हुआ था ।

विगत नौ दशकों के दौरान पीठासीन अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन ने संसदीय लोकतंत्र, इसकी संस्थाओं और इसके प्रक्रिया नियमों के लिए अत्यधिक महत्व के मामलों पर विचार-विमर्श किया है । अब तक हुए 74 सम्मेलनों में

अनेक विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे सभा में अनुशासन और शिष्टाचार; विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध; कार्यपालिका पर संसदीय निगरानी को मजबूत बनाना; तथा समिति प्रणाली, इत्यादि । इन सम्मेलनों के दौरान की गई सिफारिशों और पारित संकल्पों से संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अत्यधिक मदद मिली है।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से पहले 02 फरवरी, 2010 को भारत के विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन सम्पन्न हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन लोक सभा के महासचिव और सम्मेलन के अध्यक्ष श्री पी.डी.टी. आचारी द्वारा किया गया । राज्य सभा के महासचिव, डॉ. वी.के. अग्निहोत्री और भारत के विधानमंडलों के प्रधान सचिवों तथा सचिवों ने भी सम्मेलन में भाग लिया । सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई वे हैं : *आम चुनावों के बाद बहुमत साबित करने हेतु विश्वास मत : क्या राष्ट्रपति/राज्यपाल का अभिभाषण इसके पूर्व होना चाहिए या इसके पश्चात्; सदस्यों का सामूहिक त्याग-पत्र और इसके निहितार्थ;* प्रश्न काल को अधिक कारगर और प्रभावकारी बनाना; विधेयकों पर वाद-विवाद तथा संसद की बैठकों में सदस्यों की प्रतिभागिता और उपस्थिति में कमी आना; विधानमंडल तथा निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता; संसद और विधानमंडल सचिवालयों की वित्तीय स्वायतता; और संसदीय समितियों के समक्ष दिये गये साक्ष्य की गोपनीयता तथा सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकटन । लोक सभा के महासचिव तथा राज्य सभा के महासचिव के अतिरिक्त भारत में राज्य विधानमंडलों के प्रधान सचिवों और सचिवों ने इस सम्मेलन में भाग लिया ।

/-----------------/